



उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
Institute for Excellence in Higher Education, Bhopal

NIRF RANKING: 201-300



क्रमांक 3490/25-26

दिनांक 29.10.2025

प्रति,

सभी इच्छुक कृषक
(संस्थान के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र)

विषय: कृषि पाठ्यक्रम हेतु कृषकों से समझौता ज्ञापन (MoU) करने संबंधी Expression of Interest आमंत्रित करने बाबत।

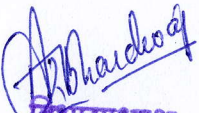
महोदय/महोदया,

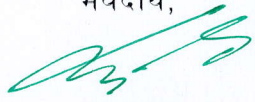
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 876/ 83 /CC/ 2025/ 38 (Part-1), दिनांक 11.09.2025 में दिए गये निर्देशानुसार, कृषि विभाग के विद्यार्थियों के प्रायोगिक कार्य हेतु कृषकों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाने का प्रावधान है।

इसी क्रम में बी.एस.सी. कृषि पाठ्यक्रम संचालित होने के कारण आपके क्षेत्र के कृषकों से Expression of Interest (Eoi) आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक कृषक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र संलग्न दस्तावेजों के साथ 15.11.2025 तक संस्थान में जमा कर सकते हैं।

इस हेतु विस्तृत जानकारी संलग्न है।

आपके सहयोग एवं सहभागिता की अपेक्षा है।


विभागाध्यक्ष
कृषि विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान
भोपाल

भवदीय,

संचालक
(उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल)



उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
Institute for Excellence in Higher Education, Bhopal

NIRF RANKING: 201-300



कृषि विभाग

Expression of Interest - Eol आमंत्रण

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 876/ 83/ CC/ 2025/ 38 (Part-1), दिनांक 11.09.2025 एवं माननीय मंत्रीजी के निर्देशानुसार, कृषि पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों हेतु प्रायोगिक कार्य (Practical Training) सुनिश्चित करने के लिए निकटवर्ती कृषकों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाने का प्रावधान है।

इसी संदर्भ में बी.एस.सी. कृषि पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को कृषि क्षेत्र का व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं परीक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इच्छुक कृषकों से Expression of Interest (Eol) आमंत्रित किए जाते हैं।

पात्रता मानदंड:

- कृषक के पास स्वयं की कृषि भूमि (खसरा/खतौनी के आधार पर) उपलब्ध हो।
- कृषि भूमि विवाद रहित एवं प्रयोग/परीक्षण हेतु उपयुक्त हो।
- कृषक कृषि कार्यों में अनुभवयुक्त हो एवं विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने की इच्छा रखता हो।

शर्तें:

- MoU की अवधि 3 वर्ष होगी।
- कृषक को प्रतिफल स्वरूप प्रति वर्ष ₹10,000/- का भुगतान संस्थान मद से किया जाएगा।
- प्रयोग/परीक्षण हेतु आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों के व्यय का वहन महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा।
- MoU के तहत भूमि का उपयोग केवल शैक्षणिक प्रयोग/परीक्षण हेतु किया जाएगा।
- संस्थान से सबसे निकट तथा आवागमन की सुविधा वाली कृषि भूमि तथा कृषकों के Expression of Interest - Eol को वरीयता दी जायेगी

आवेदन प्रक्रिया:

- इच्छुक कृषक अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करें -
- भूमि स्वामित्व प्रमाण (खसरा/खतौनी की प्रति)
- प्रायोगिक कार्य (Practical Training) के लिए प्रस्तावित कृषि भूमि की संस्थान से दूरी तथा आवागमन सुविधा का विवरण
- संस्थान से दूरी
- आधार कार्ड की प्रति
- बैंक पासबुक की प्रति
- हाल का पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन की अंतिम तिथि: 15.11.2025

इच्छुक कृषक अपना आवेदन प्राचार्य, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल (कृषि विभाग) को कार्यालयीन समय में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करें।

संचालक

(उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल)

विभागाध्यक्ष
कृषि विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान
भोपाल